

अधिकांश महिला कैदी 30–50 वर्ष (50.5 β) के आयु वर्ग में हैं, इसके बाद 18–30 वर्ष (31.3 β) हैं। भारत में कुल 1,401 जेलों में से केवल 18 विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, जिनमें 2,985 महिला कैदी हैं। इस प्रकार, अधिकांश महिला कैदियों को सामान्य जेलों के महिलाओं के अहाते में रखा जाता है।

महाराष्ट्र :—

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्त) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में 452 महिला कैदियों की अधिकृत क्षमता वाली कुल 9 केंद्रीय जेलों हैं। हालांकि, वे 722 कैदियों को समायोजित करते हैं। 334 कैदियों की क्षमता वाली 28 जिला जेलों भी हैं, लेकिन वास्तव में इनमें 356 कैदी हैं। 100 उप-जेलों में 568 कैदियों की अधिकृत क्षमता है और 8 कैदी हैं, जबकि 3 कैदियों की अधिकृत क्षमता वाली एक विशेष जेल में वास्तव में 6 कैदी रहते हैं। 262 कैदियों की अधिकृत

सारणी संख्या :- 1

महाराष्ट्र में जेल व महिला कैदियों की स्थिति

क्रम संख्या	जेलों के प्रकार	जेलों की संख्या	कुल क्षमता	कैदियों की स्थिति
01	केंद्रीय जेल	9	452	723
02	जिला जेल	28	334	357
03	उप जेल	100	568	8
04	विशेष जेल	1	3	6
05	महिला जेल	1	262	200
06	खुली जेल	13	100	44

स्रोत :- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

क्षमता वाली एक महिला जेल है, लेकिन इसमें 200 कैदी हैं। 100 कैदियों की अधिकृत क्षमता वाली 13 खुली जेल भी हैं लेकिन इनमें 44 कैदी हैं। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में 1,719 महिला कैदियों की अधिकृत क्षमता वाली 154 जेलों हैं, लेकिन कैदियों की वास्तविक संख्या 1,336 है।

कैदियों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक :—

कैदियों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक हैं। मॉडल जेल स्थितियों को निर्देशित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, नियम और मानक निम्नलिखित हैं।

- ★ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रण
- ★ अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ कन्वेशन
- ★ कैदियों के इलाज के लिए मानक न्यूनतम नियम (मानक न्यूनतम नियम)

नेल्सन मंडेला नियम :—

किसी भी प्रकार की हिरासत या कारावास के तहत सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सिद्धांतों का निकाय

कैदियों के इलाज के लिए बुनियादी सिद्धांत :—

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ कन्वेशन, बिना किसी अपवाद या अपमान के, अत्याचार और क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक उपचार या सजा का निषेध करते हैं।

1957 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अपनाए गए मानक चूनतम नियम कैदियों के अधिकारों का निर्धारण करने वाले दिशानिर्देशों के सबसे व्यापक सेटों में से एक हैं। वे निर्धारित करते हैं कि कैदी की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, कैदियों को सामान्य समय पर पौष्टिक और अच्छी तरह से तैयार भोजन प्रदान किया जाना चाहिए, कम से कम एक योग्य चिकित्सा अधिकारी जिसे मनोरोग का ज्ञान भी हो, प्रत्येक संस्थान आदि में उपस्थित होना चाहिए। महिला जेलों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं जैसे सभी आवश्यक प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल और उपचार के लिए विशेष आवास होना चाहिए और जहां नर्सिंग शिशुओं को उनकी माताओं के साथ संरक्षा में रहने की अनुमति है, वहां नर्सरी स्टाफ के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ।

किसी भी प्रकार की हिरासत या कारावास के तहत सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सिद्धांतों का निकाय और कैदियों के साथ व्यवहार के लिए बुनियादी सिद्धांत, दोनों कैदियों के साथ मानव के रूप में निहित गरिमा और मूल्य के व्यवहार के लिए सामान्य मानक निर्धारित करते हैं।

भारत में कैदियों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय नियम और मानक :–

भारत में कारावास के नियम निम्नलिखित कानूनों द्वारा निर्धारित किए गए हैं :–

- ❖ भारतीय दंड संहिता, 1860 ।
- ❖ जेल अधिनियम, 1894 ।
- ❖ कैदी अधिनियम, 1900 ।
- ❖ कैदी अधिनियम, 1920 की पहचान ।
- ❖ कैदियों का आदान-प्रदान अधिनियम, 1948 ।
- ❖ कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950 ।
- ❖ कैदी (न्यायालय में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 ।
- ❖ अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 ।
- ❖ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ।
- ❖ कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 ।
- ❖ मॉडल जेल मैनुअल, 2003 ।
- ❖ मॉडल प्रिज़िन मैनुअल, 2016 ।

पहले, देश में कानूनों की अधिकता के कारण, जेलों से संबंधित कानूनों, या मानकों में एकरूपता नहीं थी। इसलिए, गृह मंत्रालय ने जेलों से संबंधित कानूनों में कुछ एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदर्श जेल मैनुअल लाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सलाह दी कि जेल नियमों और विनियमों में बुनियादी एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय आदर्श जेल नियमावली, 2016 के प्रावधानों को अपनाते हुए अपने मौजूदा जेल नियमावली में संशोधन करना चाहिए।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आदर्श कारागार नियमावली 2016 में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं :–

- महिला कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक महिला जेल होनी चाहिए।
- महिला कैदियों के बाड़ों में उनकी विशेष जरूरतों जैसे गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और परिवार की देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास आदि के संदर्भ में सभी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए।
- महिला कैदियों को पुरुष कैदियों के समान काम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा का समान अधिकार दिया जाना चाहिए।
- कारावास के प्रत्येक स्थान पर एक रजिस्टर रखा जाएगा/होना चाहिए जिसमें महिला कैदी की पहचान, उनके कारावास का कारण, उनके प्रवेश और रिहाई का दिन और समय तथा महिला कैदियों के बच्चों का विवरण दर्ज किया जाएगा।
- किसी भी पुरुष कैदी को किसी भी समय किसी भी जेल के महिला वार्ड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसमें उपस्थित होना उसका वैध कर्तव्य न हो। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर कोई भी पुरुष रात में इसमें प्रवेश नहीं करेगा, और तब भी केवल एक महिला अधिकारी के साथ।
- महिला कैदियों के साथ काम करने के लिए सोंपे गए सभी कर्मचारियों को यौन दुराचार और भेदभाव सहित महिलाओं के लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं और मानवाधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
- महिला कैदियों की उपस्थिति में और महिला जेल अधिकारियों की सहायता से फोटो, पैरों के निशान, उंगलियों के निशान और महिला कैदियों की माप की जाएगी।

सन्दर्भ सूची :-

1. अदिति 2014 महिला कैदी एवं जेल व्यवस्था पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरों, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार
2. कारागार में महिला सहवासियों की दशा सुधारने के लिए रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली, भारत सरकार 2016.
3. जेलों में महिला कैदियों की दास्तां, 11—कम्ब—2014
4. वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 राष्ट्रीय महिला आयोग दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. वी आर कृष्णा अय्यर, न्यायधीश जेलों के लिए मानक महिला कैदियों के अधिकार कामन वेल्थ हूमन राइट इनिशिएटिव, नई दिल्ली।
6. एनसीआरबी इंडिया क्राइम स्टैटिस्टिक्स, 2015